भारत सरकार
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शिक्षा पुरस्कार योजना वर्ष 2020

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार हिंदी में शिक्षा विषयक मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रति वर्ष एक-एक लाख रूपये के पाँच पुरस्कार प्रदान करता है । इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

विषय क्षेत्र :-

योजना के अंतर्गत ज्ञान के विविध क्षेत्रों यथा, समाज शास्त्र, मानविकी, बेसिक विज्ञान, अनप्रयुक्त विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा आदि शिक्षा संबंधी विषयों पर हिंदी तथा हिंदीतर भाषी लेखकों की मूल रूप से हिंदी में लिखित उत्कृष्ठ मौलिक तथा चिंतनपरक प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा । सृजनात्मक साहित्य, पाठ्य-पुस्तकों, अनूदित पुस्तकों तथा शोध प्रकाशनो पर विचार नहीं किया जाएगा । पांडुलिपियां स्वीकार नहीं है ।

पात्रता:-

भारत के किसी भी क्षेत्र कै लेखक या उनकी ओर से प्रकाशक इस योजना के अंतर्गत अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। अप्रवासी भारतीय अथवा विदेशी विद्वान भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत भाग लेने के पात्र नहीं है । भारत सरकार के अन्य मंत्रालय/कार्यालयों राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी अपने विभाग की अनुमति लेकर इस योजना में भाग ले सकते हैं ।

नियम:-

1. योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2019 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।
2. प्रकाशित पुस्तकें कम से कम 200 पृष्ठों की होनी अनिवार्य हैं।
3. योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कृत लेखक पुन: विचारणीय नहीं है।
4. इस योजना में पांडुलिपियों पर विचार नहीं होगा।
5. योजना के अंतर्गत भारत सरकार अथवा इसके दवारा पोषित उपक्रमों/संस्थानों अथवा राज्य सरकारों या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किसी कृति पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापस नहीं की जाएगी।
7. विवरण पत्र के साथ पुस्तक की **पाँच प्रतियाँ भेजना** अनिवार्य है।
8. पुस्तक की पाँच प्रतियों में से **तीन प्रतियों** पर से लेखक और प्रकाशक के नाम वाले भाग को हटा दिया जाए तथा निदेशालय को भेजने के पूर्व उन प्रतियों की पुन जिल्दबंदी करा दी जाए। शेष दो प्रतियाँ सामान्य रूपाकार में ही भेजें।

निर्धारित विवरण पत्र निदेशालय की वेबसाइट www.chdpublication.mhrd.gov.in.से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रविष्टियाँ इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के अंदर अधोलिखित पते पर पहुंच जानी चाहिए।

(गांधारी पांगती)
उप निदेशक (पुरस्कार)
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
पश्चिमी खंड-7, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष 011-26105211-234/212